बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

पत्रांकः योo लेo3/3–6/2023– /योoविo,पटना,दिनांक फरवरी, 2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेo एवं हo), बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना

विषयः **वित्तीय वर्ष 2025–26 अंतर्गत कैमूर (भभुआ) समाहरणलय परिसर स्थित जिला योजना में एक महिला शौचालय बनवाने एवं भवन की मरम्मती/जीर्णोद्वार कार्य हेतु कुल ₹15,03,163/– (पंद्रह लाख तीन हजार एक सौ तिरसठ रूपये) मात्र की राशि के व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 अंतर्गत कैमूर (भभुआ) समाहरणलय परिसर स्थित जिला योजना में एक महिला शौचालय बनवाने एवं भवन की मरम्मती/जीर्णोद्वार कार्य के लिए कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–कैमूर (भभुआ) की तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि ₹15,03,163/– (पंद्रह लाख तीन हजार एक सौ तिरसठ रूपये) मात्र पर जिला योजना पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) के ज्ञापांक 1622 दिनांक 18.12.2025 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई एवं आवंटन की मांग की गई। तदालोक में विपत्र कोड–35–2053000940109 के विषय शीर्ष–2702–लघु कार्य अनुरक्षण एवं मरम्मति हेतु निम्नांकित सारणी अंतर्गत नाम के सम्मुख अंकित राशि स्वीकृत करते हुए ₹15,03,163/– (पंद्रह लाख तीन हजार एक सौ तिरसठ रूपये) मात्र की राशि के व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति दी जाती है।

क्रo	कार्यालय का नाम	योजना का नाम	राशि
2	जिला योजना कार्यालय, कैमूर (भभुआ)	कैमूर (भभुआ) समाहरणलय परिसर स्थित जिला योजना में एक महिला शौचालय बनवाने एवं भवन की मरम्मती/जीर्णोद्वार कार्य।	₹15,03,163/–
कुल			**₹15,03,163/–**

(पंद्रह लाख तीन हजार एक सौ तिरसठ रूपये) मात्र।

2. उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 मांग संख्या–35, मुख्य शीर्ष–2053–जिला प्रशासन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–094–अन्य स्थापनाएँ, उप शीर्ष–0109–योजना यंत्र का सुदृढ़ीकरण जिला योजना के तहत स्थानीय आवश्यकताओं के आलोक में विपत्र कोड– 35–2053000940109 के विषय शीर्ष–2702–लघु कार्य अनुरक्षण एवं मरम्मति अंतर्गत विकलनीय होगा जिसके अन्तर्गत बजट उपबंध है।

3. कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, कैमूर (भभुआ) के पत्रांक 3182 दिनांक 20.11.2025 से प्राप्त तकनीकी अनुमोदन के उपरांत जिला योजना पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) के पत्रांक 1622 दिनांक 18.12.2025 द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में आवंटन की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्य की गुणवत्ता एवं पूर्णता की समीक्षा अपने स्तर से कर लेंगे।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला योजना पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) होंगे।

5. उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदान की गयी है।

6. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है। किसी अन्य मद में इस राशि का उपयोग कदापि नही किया जायेगा। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होगें।

7. राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

8. संबंधित जिला योजना पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता प्रत्येक माह योजना पर किये गये व्यय का प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेंगे।

9. प्रस्ताव पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(डॉ0 नित्यानन्द सिंह)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः योoलेo3/3–6/2023– /योoविo,पटना,दिनांक फरवरी, 2026

प्रतिलिपिः कोषागार पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः योoलेo3/3–6/2023–108 (व्यो) /योoविo,पटना,दिनांक 06 फरवरी, 2026

प्रतिलिपिः मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ)/क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, पटना प्रमंडल, पटना/अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, पटना प्रमंडल, पटना/कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, कैमूर (भभुआ) /विभागीय बजट शाखा/आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस स्वीकृत्यादेश को विभाग के साईट पर अपलोड करा दें।

06.2-26

सरकार के उप सचिव